

February 10, 2025

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza”, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051

**Department of Corporate Services/Listing
BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

SCRIP Code: 531761

NSE Symbol: APOLLOPIPE

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement of Corrigendum to the Notice of Postal Ballot dated January 27, 2025

Pursuant to Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit the copy of newspaper publication of the Corrigendum to the Notice of Postal Ballot dated January 27, 2025, published in newspapers viz. “Jansatta” and “Financial Express”.

You are requested to take the above on record

Yours Truly

For Apollo Pipes Limited

**Ajay Kumar Jain
Chief Financial Officer**

Encl: A/a

APOLLO PIPES LIMITED

Regd. Office : 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092, India

Corporate Office : A-140, Sector 136, Noida (U.P.) - 201301

Manufacturing Unit : Dadri (U.P.), Sikandrabad (U.P.), Ahmedabad (Gujarat), Tumkur (Karnataka), Raipur (Chhattisgarh) India

Toll Free No.: 1800-121-3737

info@apollopipes.com | www.apollopipes.com | CIN : L65999DL1985PLC022723

HDFC BANK
We understand your world

एचडीएफसी बैंक लि., प्लॉट # 31, ननफगइ इंडस्ट्रियल एरिया, टावर-ए, 1वा तल, शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

कच्चा सूचना परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.11.2024 जारी कर कच्चाकां 1. से, रवि इंडस्ट्रीज, द्वारा उसके प्रोप्राइटर श्री रवि प्रकाश जैन, 2. श्री रवि प्रकाश जैन, पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन, 3. श्रीमती नीला जैन, पत्नी श्री प्रकाश चन्द जैन, 4. श्रीमती मीनका जैन, पत्नी श्री रवि प्रकाश जैन को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 82,80,927/- (रु. बचाली लाख अस्सी हजार नौ सौ सत्तरहें मात्र) वापस लेौटने का निर्देश दिया था।

कच्चाकार, इस राशि को वापस लेौटने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा कच्चाकार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 06 फर, 2025 (गुरुवार) को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कच्चा कर लिया है।

विशेष रूप से कच्चाकारको तथा आम जनता को एतद्द्वारा सारकें किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 82,80,927/- (रु. बचाली लाख अस्सी हजार नौ सौ सत्तरहें मात्र) के साथ प्रदत्त राशि, यदि कोई हो, को पचत्तरहें चारू चैं चारूहें आदि के साथ उस पर आगे के व्यय के लिये एचडीएफसी बैंक लि. के चार्ज के अधीन होए।

कच्चाकारका ध्यान अतिवृत्त परिणामियों को विचारित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आहूच्य की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

(श्रीमती नीला जैन, पत्नी श्री प्रकाश चन्द जैन के स्वामित्व में) फ्लैट नं. डी-1/11, प्रथम तल को राजनवली भवन निगम (एनू हासर्सिज) शकरीत समिति लि., अद्य, राजनवली अपार्टमेंट्स इरिदित, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 की ले आउट योजना में स्थित है।

तिथि: 6 फर, 2025
स्थान: पीतमपुरा, दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लि.

अपोलो पाइप्स लिमिटेड
CIN: L65999DL1985PLC022723
पंजीकृत कार्यालय: 37, हरगोविंद एक्स्पेंस विकास मार्ग, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110092 भारत
ईमेल: compliance@apollopipes.com; वेबसाइट: www.apollopipes.com; फोन: 91-11-44457164/91-120-658777

पोर्टल बैलेट की सूचना के लिए शुद्धिपत्र

द्विप सदस्यगण,
अपोलो पाइप्स लिमिटेड ने कुछ एजेंडा मदों के लिए सदस्यों को स्वीकृत प्राप्त करने के लिए 27 जनवरी, 2025 को पोर्टल बैलेट की सूचना जारी की थी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुपालन में 27 जनवरी, 2025 को कंपनी के सभी शेयरधारकों को यह सूचना पहले ही प्रसारित कर दी गई है।

कंपनी इस पत्र के माध्यम से शेयरधारकों के ध्यान में पोर्टल बैलेट की उक्त सूचना में निम्नलिखित परिवर्तन करना चाहती है:

मद संख्या 5 के स्पष्टीकरण कथन में परिवर्तन:

व्याख्यात्मक कथन के मद संख्या 5 के अंतर्गत खंड (क) 'अधिमार्ग निर्माण के उद्देश्य' को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

कंपनी निर्माण के माध्यम से जुड़ाई गई आय ('निर्गम आय') का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करने का इरादा रखती है:

- मौजूदा उत्पादों और अन्य संबद्ध उत्पादों के भविष्य के विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय, जैसा कि उपरोक्त की अस्थायी समय-सीमा के भीतर बौद्ध द्वारा तय किया जा सकता है।
- उत्पादों के विविधीकरण के लिए विस्तार के बाद व्यवसाय संचालन और उसके लिए प्रासंगिक कार्यालय पूंजी।

(इसके बाद सामूहिक रूप से 'उद्देश्यों' के रूप में संदर्भित)

हमारी कंपनी के एग्रेसिवेशन के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य खंड हमें मौजूदा गतिविधियों और उन गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है जिनके लिए वर्तमान अधिमार्ग निर्माण के माध्यम से हमारे द्वारा धन जुटाया जा रहा है। इसके अलावा, हम पुष्टि करते हैं कि आज तक हम जो गतिविधियाँ कर रहे हैं, वे हमारे एग्रेसिवेशन के ज्ञान के उद्देश्य खंड के अनुसार हैं।

सकल आय का उपयोग

चूंकि वारंट रूपांतरण के विरुद्ध प्राप्त होने वाली धनराशि किरतों में होगी और विभिन्न तिथियों पर आस्थक धनराशि की मात्रा भिन्न हो सकती है, इसलिए निर्माण की सकल आय के इच्छित उपयोगों की व्यापक सीमा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	उपरोक्त की जाने वाली अनुमानित कुल राशि (रु. करोड़ में)*	निधियों की प्राप्ति की तिथि से निर्रि आय के उपयोग के लिए अर्न्ततम समय-सीमा
1.	मौजूदा उत्पादों और अन्य संबद्ध उत्पादों के भविष्य के विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय, जिसका निर्णय बौद्ध द्वारा उपरोक्त की अस्थायी समय-सीमा के भीतर लिया जा सकता है।	33.00	अधिकतम मार्च 2027 तक
2.	विस्तार के बाद व्यवसाय संचालन के लिए कार्यालय पूंजी तथा उत्पादों के विविधीकरण के लिए प्रासंगिक पूंजी।	77.00	
कुल		110.00	

(*) निर्धारित समय के भीतर वारंट को इक्विटी शेयरों में 100% रूपांतरित करने पर विचार करना।
नोट: एनएसई नोटिस संख्या एनएसई/सीएमएल/2022/56 और बीएसई नोटिस संख्या 20221213-47 दिनांक 13 दिसंबर, 2022 के अनुसार, निर्गम आकार के उपरुक्त उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट राशि भविष्य की परिस्थितियों के आधार पर +/- 10% तक विचलित हो सकती है, क्योंकि उद्देश्य प्रबंधन अनुमानों और अन्य वाणिज्यिक और तकनीकी कारकों पर आधारित हैं। तदनुसार, यह विनीय, बाजार और क्षेत्रीय स्थितियों, व्यावसायिक प्रदर्शन और रणनीति, प्रतिस्पर्धा और अन्य बाहरी कारकों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं हो सकते हैं।

कार्यालयिक की अनुपुची और निधियों का परिनिर्वाजन

चूंकि वर्तमान अधिमार्ग निर्माण परिवर्तनीय वारंट के लिए है, इसलिए निर्माण की आय सेवी आईसीडीआर विनिमयन के अर्थाय र के अनुसार वारंट के आवंटन की तिथि से 18 महीने की अवधि में कंपनी द्वारा प्राप्त की जाएगी, और हमारे प्रबंधन द्वारा अनुमान के अनुसार, निर्माण से प्राप्त संपूर्ण आय का उपयोग कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं और निर्गम आय की उपलब्धता के अनुसार, मार्च 2027 तक, चरणों में, उपरुक्त सभी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

यदि किसी ऐसे कारक के कारण उपरोक्त अवधि के दौरान उपरोक्त उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग (पूर्ण या आंशिक रूप से) नहीं किया जाता है, तो शेष आय का उपयोग बाद की अवधि में ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि बौद्ध द्वारा लागू कानूनों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। इसमें निवेशित व्यय और विचोषण आवश्यकता को पुनर्निर्धारित और संशोधित करना और बौद्ध द्वारा निर्धारित नियोजित व्यय से किसी विशेष उद्देश्य के लिए व्यय को बढ़ाना या घटाना शामिल हो सकता है, जो लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन है।

आय का अंतिम उपयोग

हमारी कंपनी, समय-समय पर हमारे बौद्ध द्वारा तैयार की गई नीतियों के अनुसार, सकल आय को निवेशित करने में लचीलापन रखेगी। ऊपर वर्णित उद्देश्यों के लिए सकल आय का उपयोग लंबित होने तक, हमारी कंपनी सकल आय को केवल भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुपुची में शामिल अनुपुचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा करने या लागू कानूनों के तहत अनुमत सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा/कच्चा बाजार साधनों में निगम आय का निवेश करने का इरादा रखती है। उक्त परिनिर्वाजन ऊपर वर्णित उद्देश्यों के लिए निर्गम आय के पूर्ण उपयोग लंबित होने तक लागू कानूनों के अनुपालन में किया जाएगा।

व्याख्यात्मक कथन के मद संख्या 5 के अंतर्गत खंड (XIII) "आईसीडीआर विनिमयों की अनुपुची VI में निर्दिष्ट प्रकटीकरण, यदि जारीकर्ता या उसके किसी प्रभोदर या निदेशक ने जानबूझकर चूक की है या धोखाधड़ी से कर्ज लिया है" को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी कंपनी, उसके निदेशकों या प्रभोदरों को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या उसके संघ द्वारा जानबूझकर कच्चा न चुकाने वाली या धोखाधड़ी करने वाले कर्जदार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। नतीजतन, आईसीडीआर विनिमयों की अनुपुची 6 में निर्दिष्ट खुलासे लागू नहीं होते हैं।

अन्य सभी विवरण और व्यौर अपरिवर्तित रहेंगे। यह शुद्धिपत्र 27 जनवरी, 2025 के पोर्टल बैलेट नोटिस का एक अधिन अंग होगा और इसे उसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसे कंपनी के सदस्यों को पहले ही प्रसारित किया जा चुका है और इस तिथि से, पोर्टल बैलेट नोटिस के तहत अनुमत सरकारी के साथ पढ़ा जाएगा। यह शुद्धिपत्र एटिक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई पर www.bseindia.com और नेशनल एटिक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.apollopipes.com पर उपलब्ध है। यह शुद्धिपत्र कट-ऑफ तिथि अर्थात 24 जनवरी, 2025 तक सभी कंपनी वारंट सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा रहा है। पोर्टल बैलेट नोटिस की शेष सभी सामग्री यथावत रहेंगी।

अपोलो पाइप्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
गौर कुमार नायक
कंपनी सचिव

दिनांक: 08 फरवरी, 2025
स्थान: नोएडा

मांग सूचना
वसुली अधिकारी-I का कार्यालय
ऋण वसुली अधिकरण-II, दिल्ली

चौधी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋण वसुली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आवक अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुपुची के नियम 2 के तहत सूचना।

आरसी संख्या 543/2019 दिनांक: 28.01.2025
निम्नलिखित के मामले में:

एडलवांस एसेट रिकस्ट्रक्चरन कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स इडिजि इन्फ्रा प्रोजेक्ट (प्रा.) लिमिटेड,
सौडी#5 श्री संजीव दत्ता, डीडी-232, वेस्ट एंग मार्ग, सैतुलजाव, एमवी रोड, महरौली, नई दिल्ली-110068

यह शुद्धि किया जाता है कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसुली अधिकरण-कदरदिली द्वारा ओ.ए. संख्या 130/2014 में तैयार किए गए उक्त वसुली प्रमाण पत्र के अनुसार रु. 48,59,42,789.03 (रुपये अड़तालसीस करोड़ उनसठ लाख बचालीस हजार सात सौ बचाली और तीन पैसे मात्र) की राशि आज पर बचकाया हो गई है। सीएच बैंक रु. 48,57,92,789.03 (रुपये अड़तालसीस करोड़ सत्तावन लाख बचाले हजार सात सौ बचाली और तीन पैसे मात्र) की राशि इस ओ.ए. के दखिल करने की तिथि यानी 06.03.2014 से वसुली तक 13% प्रति वर्ष की दर से भविष्य के व्यय के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग सीडी से वसुली का हकदार है। सी.डी. को उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करना है, अन्यथा उसे इक्विटिवल बंधक संपत्तियों की बिक्री से वसुल किया जाएगा। किसी भी कमी के मामले में, उसे सी.डी. को व्यक्तिगत चल और अचल संपत्तियों से संयुक्त रूप से और अलग-अलग वसुल किया जाएगा।

उपरोक्त नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा ऋण वसुली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार वसुली की जाएगी।

आपको आगे की कार्यवाही के लिए 27.02.2025 को सुबह 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आपको निम्नलिखित का भुगतान भी करना होगा:

- प्रमाण पत्र/निष्पादन कार्यवाही की सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज।
- नोटिस और वारंट की सेवा और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसुली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।
- इस बीच, सौडी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को न चेचें/हस्तांतरित न करें या उनमें किसी तीसरे पक्ष का हित सूचित न करें।

हस्ता./-
(उत्तम नेगी)
वसुली अधिकारी-I
डीआरटी-II, दिल्ली

SEAL

Protium

प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में ग्रेड सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से)
निर्रिा नॉलेज पार्क (एनएफपी) बी-2, सातवीं मंजिल, पहाड़ी गांव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा इंडस्ट्रियल एरेंट, गोरगांव (पू.), मुंबई, महाराष्ट्र- 400063

कच्चा सूचना
(धारा 13(4) एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तिियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) (सरकारी अधिनियम) के तहत प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (तत्कालीन ग्रेड सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) ('इसके बाद 'प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड' के रूप में संदर्भित) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर कर्जदार 1. श्रेयाजली टेक्सटाइल के मालिक श्रवण कुमार पुत्र देवी कांत और सह-कर्जदार 1. श्रवण कुमार पुत्र देवी कांत, 2. रूबी पट्टी फूल कुमार ठाकुर, और 3. फूल कुमार ठाकुर पुत्र राम गुलाम ठाकुर को ऋण खाता संख्या **GS002MF02210191** के संबंध में उक्त सूचना में उल्लिखित 12 नवम्बर, 2024 तक राशि रु. 22,52,829.54/- (रुपये बाईस लाख बचाले हजार आठ सौ उन्तीस एवं चौवन पैसे मात्र) का भुगतान करने को कहते हुए 26 नवम्बर, 2024 को एक मांग सूचना जारी की। कर्जदारों द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, कर्जदारों और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर 06 फरवरी, 2025 को कच्चा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन 12 नवम्बर, 2024 तक राशि रु. 22,52,829.54/- (रुपये बाईस लाख बचाले हजार आठ सौ उन्तीस एवं चौवन पैसे मात्र) की राशि और उस पर अतिरिक्त ब्याज, साथ ही लागत, शुल्क, किए गए खर्च के लिए प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण:

सम्पत्तियों/अंश एच का नाम	विवरण	मात्रा	इन्वॉयस नं. तथा तिथि
रिवासेस इन्वॉयसिंग प्रोडक्ट्स	1, 2000 मिमी के साथ शिपरिंग मशीन के साथ सेंटिंग, 2. 12 और ड्राय 60. 5 मिमी सेंटिंग के लिए रोलर, 3. 12 और ड्राय 60. 5 मिमी कटिंग के लिए रोलर, 4. मशीन पूरी तरह से इस्तेमाल निर्रिा, 5. नती बेल्ट ऑफ-पावर बिकली बॉल, 6. उनरर ड्रम- डेकॉरेटिव, एक्सीले 7. इरामी क्लीन एक्सेक्यूट, एडवांसी, एचआरबी, नती की अंतरराष्ट्रीय से सुरक्षित है, 8. केएएएआई ज्ञान प्राप्त निर्मित कार्ड कलेक्शिन	1	623 तथा दिनांक 21.10.2023

दिनांक: 06 फरवरी, 2025
स्थान: फरीदाबाद, हरियाणा

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
आचार्य अरुण शर्मा (16683)
एन- 40, इंदौर एच टूरिज्म तह, रिडिंग रोड, सायब लक्ष्म 1, नई दिल्ली- 110049

अधिग्रहण सूचना
[सरकोएसि अधिनियम 2002] के नियम 8(1) के अंतर्गत, अचल संपत्ति हेतु

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतरित, एक मांग सूचना दिनांकित 15-10-2024 निर्गत की थी, जिसमें ऋणधारकों श्री विपिन यादव को सूचना में अंकित राशि रु. 22,03,694/- (रुपये बाईस लाख तीन हजार छह सौ चौराबने मात्र) + ब्याज + मावी ब्याज+ आकरमिक व्ययों + लागतों का अन्ध शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणधारक निर्धारित बचकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणधारक तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरिणत संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतरित, 07 फरवरी 2025 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणधारक / गारंटर को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व बिक्री भी प्रकार का लेन-देन, रु. 22,03,694/- (रुपये बाईस लाख तीन हजार छह सौ चौराबने मात्र) की एक राशि तथा राशि पर निर्रिा+ ब्याज+ मावी ब्याज+ आकरमिक व्ययों+ लागतों+ अन्य शुल्कों, इत्यादि हेतु, भारतीय स्टेट बैंक के आचाराधीन होगा।

ऋण खाता : आचार्य ऋण खाता- 35152107928, होम टॉप अय : 36904723143 तथा एचएल (फैसगनेन) : 33411328248

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति इनके स्वाधिनत्वधारण में है : श्री विपिन यादव

आवासीय भवन : मकान नं. 594, पू ताल, न्याय खण्ड 111, इंदिरानगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

दिनांक : 09-02-2025
स्थान : सायब एक्स-1 (नई दिल्ली)

प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

Protium

प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में ग्रेड सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से)
निर्रिा नॉलेज पार्क (एनएफपी) बी-2, सातवीं मंजिल, पहाड़ी गांव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा इंडस्ट्रियल एरेंट, गोरगांव (पू.), मुंबई, महाराष्ट्र- 400063

कच्चा सूचना
(धारा 13(4) एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तिियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) (सरकारी अधिनियम) के तहत प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (तत्कालीन ग्रेड सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) ('इसके बाद 'प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड' के रूप में संदर्भित) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर कर्जदार 1. पॉ काली बेकरस इसके प्रोप्राइटर राम फूल पुत्र नेकासिया काय के माध्यम से तथा सह-कर्जदारों 1. राम फूल पुत्र नेकासिया राम, 2. कमरसेन देवी पत्नी राम फूल को ऋण खाता संख्या **GS064EEL2322452** के संबंध में उक्त सूचना में उल्लिखित 04 नवम्बर, 2024 तक राशि रु. 27,33,733.49/- (रुपये सत्ताईस लाख तीसरे हजार सात सौ तीनीस एवं उनचत्तर पैसे मात्र) का भुगतान करने को कहते हुए 07 नवम्बर, 2024 को एक मांग सूचना जारी की। कर्जदारों द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, कर्जदारों और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर 06 फरवरी, 2025 को कच्चा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन 04 नवम्बर, 2024 तक राशि रु. 27,33,733.49/- (रुपये सत्ताईस लाख तीनीस हजार सात सौ तीनीस एवं उनचत्तर पैसे मात्र) की राशि और उस पर अतिरिक्त ब्याज, साथ ही लागत, शुल्क, किए गए खर्च के लिए प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

चुकान संख्या 5 और 6, सुब्रह्मण्य मार्केट, कृष्णा धाम कलोनियों, मौजूदा विद्युतग, खसरा नंबर 108, आगरा, सूची -282006 को संपत्ति का समस्त भाग

क्र. सं.	तिथि	वस्तुसंबंधी का विवरण	मूल्य/फोटोकापी
1	17.07.2023	वाणिज्यिक चुकान संख्या 5 और 6 के संबंध में श्री गंगा राम पुत्र श्री सुब्रह्मण्य द्वारा श्री राम फूल के पक्ष में खसरा संख्या 166 का 69.33 घर्ग मात्र भाग, दस्तावेज संख्या 5522 चुकान संख्या खंड संख्या 11910 पुर संख्या 17 से 34 के अनुसार दिनांक 17.07.2023 एलआरओ-1, आगरा में निम्नलिखित मूल बिक्री विवरण	मूल
2		उक्त संपत्ति के संबंध में श्री रामफूल के नाम पर पीएमएल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस द्वारा जारी पूरा एक्सीले	

दिनांक: 09 फरवरी, 2025
स्थान: आगरा, उत्तर प्रदेश

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

VOITH

वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 113 / 114ए, सेक्टर-24, फरीदाबाद-121005, हरियाणा
सीआईएन: L74899HR1968PLC004895, फोन: +91 129 4292200, फैक्स: +91 129 2232072
ई-मेल: voithfabrics.faridabad@voith.com, वेबसाईट: www.voithpaperfabricsindia.com

31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तृतीय तिमाही एवं नौ माह हेतु अनअकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण
(रु मिलियन में, यदि अन्यथा दर्शित न हो)

क्र. सं.	विवरण	31 / 12 / 2024 को समाप्त तिमाही (अनअकेक्षित)	31 / 12 / 2024 को समाप्त नौ माह अवधि (अनअकेक्षित)	31 / 12 / 2023 को समाप्त तिमाही (अनअकेक्षित)	31 / 03 / 2024 को समाप्त वर्ष (अकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	456.55	1,502.27	455.19	1,942.91
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ, कर पूर्व	109.65	384.52	127.79	487.95
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ, कर परचात्	80.09	285.52	95.81	362.94
4	अवधि हेतु अन्य व्यापक आय (कर से शुद्ध)	0.09	0.27	0.50	(1.23)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर परचात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर परचात्) शामिल कर के] (कृपया टिप्पणी 2 देखें)	80.18	285.79	96.31	361.71
6	प्रदत्त समता अंश पूंजी (अंकित मूल्य रु 10 प्रति अंश)	43.93	43.93	43.93	43.93
7	सुरक्षित (पुनर्मूल्यांकन सुरक्षित के अतिरिक्त, जैसा कि बैलेंस शीट में प्रदर्शित है)				3,440.02
8	प्रति अंश आय (₹ 10/- प्रत्येक) (जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु):				
1.	मूल:	18.24	65.04	21.82	82.67
2.	तरल:	18.24	65.04	21.82	82.67

टिप्पणी:

- उपरोक्त विवरण, सेवी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड) के पास दाखिल किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। ये वित्तीय परिणाम कम्पनी के वैधानिक अकेक्षकों द्वारा सीमित अवलोकन के विषय स्वरूप थे, अकेक्षण समिति द्वारा अनुमतिरिक्त किए गए तथा 7 फरवरी 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किए गए। उपरोक्त वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप, वैधानिक अकेक्षकों की सीमित अवलोकन रिपोर्ट के साथ बीएसई लिमिटेड को उपूक तौर पर फाइल किया जा रहा है। इन दस्तावेजों को कम्पनी की वेबसाइट <http://www.voithpaperfabricsindia.com> पर 'Investors Corner' कडी पर उपलब्ध कराया जाएगा और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <http://www.bseindia.com> पर 'Corporate' कडी के अन्तर 'Corporate Filing' अनुभाग में 'Financial Result' पर उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।
- उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानकों ('इंड एस') के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित अन्य प्रासंगिक नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के वैधानिक अकेक्षकों ने भारतीय प्रतिभूति एवं वित्तियन बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, यथा संशोधित, की धारा 33 के अनुपालन में सीमित अवलोकन किया है एवं असंशोधित समीक्षा विचार जारी किया है। कम्पनी की वेबसाइट पर वित्तीय परिणामों को अभिगमित करने हेतु क्यूआर कोड को स्कैन करें।

कृते वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
आर कृष्णा कुमार
प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 05344619

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 7 फरवरी 2025

HDFC BANK

शाखा : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-67, फोन : 011-41596676 / 568, कॉर्पोरेट पहचान संख्या : एल65920एमएच1994पीएएससी080618, वेबसाइट : www.hdfcbank.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई-बिडिंग के माध्यम से बिक्री)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

कॉलम (क) में वर्णित कर्जदार (रौ) और गारंटर (रौ) और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉलम (ग) में दर्शाई गई प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित अचल सम्पत्ति (यौ) जिनका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (इससे पूर्व एचडीएफसी लिमिटेड जिसका माननीय एनसीएलटी-मुंबई के 17 मार्च 2023 दिनांकित आदेश से अनुमोदित समावेदन की एक योजना के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है) (एचडीएफसी), प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कॉलम (घ) में वर्णित अनुत्तर रचनात्मक / भौतिक कच्चा लिया था, उन्हें नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" एवं "जो भी वहां है" आधार पर बेचा जाएगा। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत कॉलम (क) में वर्णित कर्जदार / बंधककर्ता (ओ) / कानूनी उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधियों (घाहे जात या अज्ञात), निष्पादक (को), प्रशासक (को), संबंधित कर्जदार (रौ) / बंधककर्ता (ओ) (अब मृतक) (ओ) (अब मृतक) को उत्तराधिकारी और वारिस, जैसा भी मामला हो, को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है। बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया एचडीएफसी प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट, यानी, www.HDFCBANK.Com पर दिये गये लिंक को देखें।

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)
कर्जदार (रौ) / गारंटरों का नाम	वसूल की जाने वाली बचकाया राशि (प्रतिभूत ऋण) (रु)*	अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	अधिग्रहण का प्रकार	निर्रिाण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (रु.)				

FINOLEX INDUSTRIES LIMITED

CIN : L40108PN1981PLC024153

Registered Office: Gat No. 399, Village Urse, Taluka Maval, Dist.Pune - 410 506.

Tel.No.02114-237251 E-mail: investors@finolexind.com Website: www.finolexpipes.com

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2024

(₹ in Crores)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended		Nine Months Ended	Quarter Ended		Nine Months Ended
		31-12-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1a	Revenue from Operations	1,001.24	1,019.69	2,970.16	1,001.24	1,019.69	2,970.16
1b	Other income	48.42	35.12	186.38	48.42	35.12	184.76
1	Total income	1,049.66	1,054.81	3,156.54	1,049.66	1,054.81	3,154.92
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	94.53	119.79	384.93	94.53	119.79	383.31
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	94.53	119.79	801.92	111.80	131.50	820.04
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	70.96	89.21	627.60	94.02	95.40	635.45
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising of Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(367.96)	(13.95)	954.45	(344.90)	(7.76)	962.30
6	Paid up Equity share capital (Face value Rs. 2 per share)	123.67	123.67	123.67	123.67	123.67	123.67
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year ended on March 31, 2024	5,414.17			5,510.60		
8	Earnings per share (of Rs. 2/- each) (for continuing operations) not annualised: Basic : Diluted: }	1.15	1.44	10.15	1.52	1.54	10.28

Notes-

- The standalone and consolidated financial results of Finolex Industries Limited (the 'Holding Company') and its associates for the quarter and nine months ended December 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 6, 2025 and a limited review of the same has been carried out by the statutory auditor of the Holding Company.
- These results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard ('Ind AS') 34, 'Interim Financial Reporting' prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India and are in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular number CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016. The full format of the quarterly financial results and explanatory notes are available on the stock exchange websites at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.finolexpipes.com. The same can be accessed by scanning the QR Code provided below.
- The Holding Company has investment in two associates, Finolex Plasjon Industries Private Limited and Pawas Port Limited. The Holding Company, using equity method as prescribed under Ind AS 28, 'Investment in Associates and Joint Ventures', duly consolidates its 46.35% equity stake in Finolex Plasjon Industries Private Limited and 49.99% equity stake in Pawas Port Limited.
- Exceptional item pertains to the net gain amounting ₹ 416.99 crore recorded by the Holding Company on completion of transfer of rights on leasehold land admeasuring approximately 25.27 acres situated at Chinchwad, Pune, along with structures.

Place: Dubai
Date: February 6, 2025By order of the Board of Directors
For Finolex Industries Limited
sd/-
Saurabh Sarvottam Dhanorkar
Managing Director
DIN: 00011322

ANUROOP PACKAGING LIMITED

CIN NO. L25202MH1995PLC093625

Address: 607, 6th Floor, Ijmima Complex, Off. Link Road, Malad West, Mumbai — 400064.
Tel No : 022-35435303, Email id:- info@anurooppackaging.com, website:- https://anurooppackaging.com/

EXTRACT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2024

Rs. in Lakhs (except earnings per share)

Sr. No.	Particulars	Consolidated			
		Quarter Ended		Year ended	
		31-Dec-2024	30-Sep-2024	31-Dec-2023	31-Mar-2024
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)
1	INCOME				
a.	Revenue from operation	349.91	332.97	752.87	2,784.86
b.	Other Income	35.45	49.97	7.32	84.47
	Total Income	385.36	382.94	760.20	2,869.33
2	Expenses				
	Other Expenses	267.76	230.28	553.19	2,230.40
	Total Expenses	267.76	230.28	553.19	2,230.40
3	Profit/Loss Before Exceptional Items and tax(1-2)	117.60	152.66	207.01	638.93
	Exceptional Items				
	Finance Cost	41.57	38.10	33.51	130.26
4	Profit/(Loss) before tax	76.03	114.56	173.50	508.67
	Tax Expense				
	Current Tax	27.00	27.56	39.45	104.43
	Deferred Tax	15.35	-0.14	2.93	-3.63
	Total Tax Expenses	42.35	27.41	42.39	100.80
8	Net Profit/(Loss) after tax(4-5)	33.68	87.14	131.11	407.87
6	Other Comprehensive Income	-	-	-	-
	Items that will not be reclassified into Profit or Loss	-	-	-	-1.74
7	Total Comprehensive Income for the year (after tax) (5+6)	33.68	87.14	131.11	409.61
8	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re. 10 /- each)	1,228.80	1,066.30	1,066.30	1,066.30
9	Earnings per Equity Share (of Rs. 10/- each)				
	Basic	0.27	0.82	1.23	3.81
	Diluted	0.27	0.82	1.23	3.81

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Consolidated Financial Results pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The full format of the Standalone as well as consolidated Results approved by the Board of Directors at their meeting held on February 07, 2025; along with Limited Review Audit Report is available on the website of the Stock Exchange at <https://www.bseindia.com/> and on the Company's website at <https://anurooppackaging.com/>.
- The same can be accessed by the URL - <https://anurooppackaging.com/wp-content/uploads/2025/02/December-2024-Quarterly-Results.pdf> or by scanning the QR code:-



For Anuroop Packaging Limited

Date : 07-02-2025
Place : MumbaiSd/-
Akash Sharma
Managing Director
DIN : 06389102

"IMPORTANT"

While care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

APOLLO PIPES LIMITED

CIN: L65999DL1985PLC022723

Registered Office: 37, Hargobind Enclave Vikas Marg, East Delhi, Delhi 110092 India.

Email: compliance@apollopipes.com ; Website: www.apollopipes.com ;
Phones: 91-11-44457164/91-120-6587777

CORRIGENDUM TO NOTICE OF POSTAL BALLOT

Dear Members,

Apollo Pipes Limited had issued a Notice of Postal Ballot dated January 27, 2025 for seeking approval of members for certain agenda item(s). The Notice has already been circulated to all the Shareholders of the Company on January 27, 2025 in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder.

The Company through this communication wishes to bring to the notice of the Shareholders, following changes in the said Notice of Postal Ballot:

Changes to the Explanatory Statement to Item No. 5:

Clause (I) "Objects of the Preferential Issue" under Item no. 5 of the Explanatory Statement shall now be read as under:

The Company intends to utilize the proceeds raised through the issue ("Issue Proceeds") towards the following objects:

- Capital expenditure for future expansion of existing products and other allied products as may be decided by the board within the tentative timeline of the utilization.
- Working Capital for the business operations post expansion and incidental thereto for diversification of products.

(Hereinafter collectively referred to as "Objects")

The main Object Clause of Memorandum of Association of our Company enables us to undertake the existing activities and the activities for which the funds are being raised by us through the present Preferential Issue. Further, we confirm that the activities which we have been carrying out till date are in accordance with the Object Clause of our Memorandum of Association.

Utilization of Gross Proceeds

As the funds to be received against warrant conversion will be in tranches and quantum of funds required on different dates may vary therefore, the Broad Range of intended use of the Gross Proceeds of the Issue is as under:

S. No.	Particulars	Total estimated amount to be utilized (Rs. in Crores)*	Tentative timelines for utilization of issue proceeds from the date of receipt of funds
1.	Capital expenditure for future expansion of existing products and other allied products as may be decided by the board within the tentative timeline of the utilization.	33.00	Latest by March 2027
2.	Working Capital for the business operations post expansion and incidental thereto for diversification of products.	77.00	
TOTAL		110.00	

(*) considering 100% conversion of Warrants into Equity Shares within the stipulated time.

Note: In terms of NSE Notice No. NSE/CML/2022/56 and BSE Notice No. 20221213-47 dated December 13, 2022, the amount specified for the above mentioned objects of issue size may deviate +/- 10% depending upon future circumstances, as the objects are based on management estimates and other commercial and technical factors. Accordingly, the same is dependent on a variety of factors such as financial, market and sectoral conditions, business performance and strategy, competition and other external factors, which may not be within the control of the Company.

Schedule of Implementation and Deployment of Funds

Since present preferential issue is for convertible warrants, issue proceeds shall be received by the Company in 18 months period from the date of allotment of warrants in terms of Chapter V of the SEBI ICDR Regulation, and as estimated by our management, the entire proceeds received from the issue would be utilized for the all the above mentioned objects, in phases, as per the company's business requirements and availability of issue proceeds, latest by March 2027.

If the proceeds are not utilised (in full or in part) for the objects stated above during the period stated above due to any such factors, the remaining proceeds shall be utilised in subsequent periods in such manner as may be determined by the Board, in accordance with applicable laws. This may entail rescheduling and revising the planned expenditure and funding requirement and increasing or decreasing the expenditure for a particular purpose from the planned expenditure as may be determined by the Board, subject to compliance with applicable laws.

Interim Use of Proceeds

Our Company, in accordance with the policies formulated by our Board from time to time, will have flexibility to deploy the Gross Proceeds. Pending utilization of the Gross Proceeds for the purposes described above, our Company intends to deposit the Gross Proceeds only with scheduled commercial banks included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 or invest the Issue Proceeds in government securities, money/debt market instruments as permitted under applicable laws. The said deployment shall be done in compliance with the applicable laws pending complete utilization of the Issue Proceeds for the Objects described above.

Clause (XIII) "Disclosures specified in Schedule VI of ICDR Regulations, if the issuer or any of its promoters or directors is a willful defaulter or fraudulent borrower" under Item no. 5 of the Explanatory Statement shall now be read as under:

None of the Company, its directors or Promoters are categorized as willful defaulter(s) or a fraudulent borrower by any bank or financial institution or consortium thereof, in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India. Consequently, disclosures specified in Schedule VI of ICDR Regulations is not applicable.

All other particulars and details remain unchanged. This corrigendum shall form an integral part of and should be read in conjunction with the Postal Ballot Notice dated January 27, 2025 which has already been circulated to members of the Company and on and from the date hereof, the Postal Ballot Notice shall always be read in conjunction with this Corrigendum. This Corrigendum is also available on the website of the stock exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of the Company at www.apollopipes.com. This Corrigendum is also being sent electronically to all the registered members as on the cut-off date, i.e., January 24, 2025. Rest all contents of the Postal Ballot Notice remains the same.

For Apollo Pipes Limited

Date : February 08, 2025
Place : NoidaSd/-
Gourab Kumar Nayak
Company Secretary

CHEMPLAST SANMAR LIMITED

Regd. Office: 9, Cathedral Road, Chennai - 600 086

Tel: 91 44 2812 8500

Website: www.chemplastsanmar.com E-mail id: grd@sanmargroup.com

CIN: L24230TN1985PLC011637

Extract of consolidated and standalone unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December 2024

(Rs. in Crores except for EPS data)

Sl. No.	Particulars	Consolidated				Standalone			
		Quarter ended		Nine months ended		Quarter ended		Nine months ended	
		31-12-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2023
1	Revenue from operations	1057.55	888.10	3195.19	2872.26	585.92	439.11	1661.99	1139.58
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items) (Refer note b below)	(62.97)	(78.34)	(96.18)	(162.25)	(37.39)	(43.35)	(75.53)	(97.36)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) (Refer note b below)	(62.97)	(78.34)	(96.18)	(162.25)	(37.39)	(43.35)	(75.53)	(97.36)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items) (Refer note b below)	(48.82)	(89.38)	(56.19)	(127.30)	(29.75)	(59.91)	(40.36)	(74.16)
5	Total comprehensive income for the period	(48.52)	(89.16)	(10.27)	(126.65)	(29.52)	(59.75)	5.38	(73.70)
6	Equity Share Capital	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06	79.06
7	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (Not annualised) (for continuing and discontinued operations) (Rs.) -								
	1. Basic:	(3.06)	(5.65)	(3.53)	(8.05)	(1.88)	(3.79)	(2.55)	(4.69)
	2. Diluted:	(3.06)	(5.65)	(3.53)	(8.05)	(1.88)	(3.79)	(2.55)	(4.69)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended unaudited financial results filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the quarter and nine months ended unaudited financial results are available on the webpage of the Stock Exchanges namely BSE: <https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/775bb8a0-e6c9-4eb2-b8be-8671ddd9d127.pdf> NSE: https://nsearchives.nseindia.com/corporate/BMFinancials07022025_07022025175147.pdf and of the Company <https://www.chemplastsanmar.com/downloads/investor-relations/2024-25/Q3/Q3.pdf>.
- Exceptional and/or Extraordinary items are adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
- Other Equity as per consolidated and standalone financials (excluding revaluation reserve) as at 31st March 2024 was Rs. 110.78 Crores and Rs. 2677.56 Crores respectively.



Scan to view full report from our website

For and on behalf of the Board
Chemplast Sanmar LimitedRamkumar Shankar
Managing Director
DIN : 00018391Vijay Sankar
Chairman
DIN : 00007875Place : Chennai
Date : 7th February 2025